


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1731]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 12, 2016/आषाढ़ 21, 1938

No. 1731]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 12, 2016/ASADHA 21, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2016

का.आ. 2373 (अ).— स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 2 के उपवाक्य (xi) के उप-उपवाक्य (ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, निम्नलिखित पदार्थ, लवणों और उनके उत्पादों को विनिर्मित औषधि के रूप में घोषित करती है, अर्थात :-

AH-7921 : 3,4-डाईक्लोरो-N-[(1-डाईमेथाइलअमीनो) साइक्लोहेक्साइलमेथाइल] बेन्जामाइड

[फा.सं. एन-12011/1/2015-एनसी- II (1)]

सत्य नारायण दास, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2016

S.O. 2373(E).— In exercise of the powers conferred by sub-clause (b) of clause (xi) of section 2 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby declares the following substance, salts and preparations thereof to be manufactured drug, namely:-

AH-7921 : 3,4-dichloro-N-[1-(dimethylamino) cyclohexylmethyl] benzamide .

[F. No. N-12011/1/2015-NC-II (1)]
SATYA NARAYANA DASH, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2016

का. आ. 2374 (अ).— जहांकि, केन्द्र सरकार, कोई पदार्थ (प्राकृतिक या संश्लेषित), या प्राकृतिक पदार्थ या कोई पदार्थ या सामग्री के लवण या उत्पाद की प्रकृति या प्रभाव या क्षेत्र के बारे में उपलब्ध जानकारी और साक्ष्य के आधार पर और ऐसे पदार्थ या उनमें होने वाले परिवर्तन से संबंधित संशोधन जो कि युनाइटेड नेशन्स कन्वेंशन ऑन साइकोट्रॉपिक सबस्टेन्स, 1971 में शामिल किया गया है, से संतुष्ट है और यह समझती है कि स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्वापक पदार्थों की सूची में निम्नलिखित पदार्थों या प्राकृतिक सामग्रियों या ऐसे पदार्थों या सामग्रियों के लवण या उत्पाद को शामिल करना जरूरी या उपयोगी है;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्वापक पदार्थों की सूची में निम्नलिखित संशोधन करती है।

उक्त अधिनियम में, अनुसूची में क्रम सं. 110ख और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

क्र.सं.	अंतर्राष्ट्रीय गैर-प्रोपराइटरी नाम	अन्य गैर-प्रोपराइटरी नाम	रासायनिक नाम
“110C	25B-NBOMe	2C-B-NBOMe	2-(4-ब्रोमो-2,5-डाईमेथाक्सीफेनाइल)-N-(2-मेथाक्सीबेन्जाइल) इथेनामाइन
110D	25C-NBOMe	2C-C-NBOMe	2-(4-क्लोरो-2,5-डाईमेथाक्सीफेनाइल)-N-(2-मेथाक्सीबेन्जाइल) इथेनामाइन
110E	25I-NBOMe	2C-I-NBOMe	2-(4-आयोडो-2,5-डाईमेथाक्सीफेनाइल)-N-(2-मेथाक्सीबेन्जाइल) इथेनामाइन
110F	N- BENZYLPIPERAZINE	Benzylpiperazine, BZP	1-बेन्जाइनपिपेराजाइन
110G	JWH-018	AM-678	नेफ्थालीन-1-yl(1-पेन्टाइल-1H-इन्डोल-3-yl)मेथानॉन
110H	AM-2201	JWH-2201	[1-(5-फ्लोरोपेन्टइल)-1H-इन्डोल-3-yl](नेफ्थलीन-1-yl)मेथानॉन

110I	MDPV	3,4-Methylenedioxypropylone	(R/S)-1-(बेन्जो[d][1,3]डायोक्सोल-5-yl)-2-(पाइरोलिडिन-1-yl)पेन्टन-1-one
110J	METHYLONE	Beta-keto-MDMA	(RS)- 2-मेथाइलअमीनो-1-(3,4-मेथिलीनडाक्सीफेनाइल) प्रोपेन-1-one".

[फा.सं. एन-12011/1/2015-एनसी- II (2)]

सत्य नारायण दास, अवर सचिव

नोट: स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) में का.आ. 785 (अ), दिनांक 26 अक्टूबर, 1992 के द्वारा और उसके बाद का.आ. 49 (अ) दिनांक 8 जनवरी, 1993, का.आ. 39(अ) दिनांक 12 जनवरी, 1996, का.आ. 475(अ) दिनांक 11 जून, 2003, सा.का.नि. 621(अ) दिनांक 1 अगस्त, 2003, सा.का.नि. 1(अ) दिनांक 2 जनवरी, 2004, का.आ. 311 (अ) दिनांक 10 फरवरी, 2011 और का.आ. 376 (अ) दिनांक 5 फरवरी, 2015 के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATIONNew Delhi, the 12th July, 2016

S. O. 2374 (E).- Whereas the Central Government is satisfied, on the basis of information and evidence which has become available to it, with respect to the nature and effect of or the scope of abuse of, any substance (natural or synthetic) or natural material or any salt or preparation of such substance or material, and the modification with respect to such substances and the changes that have been incorporated in the United Nations Convention on Psychotropic Substances 1971, and that it is necessary or expedient to add the following substances or natural material or salt or preparation of such substances or material in the list of psychotropic substances specified in the Schedule to the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) (hereinafter referred to as the said Act);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, the Central Government hereby makes the following amendments in the list of psychotropic substances specified in the Schedule of the said Act, namely:-

In the said Act, in the Schedule, after serial number 110B and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely:-

S. No.	International Non-proprietary names	Other non-proprietary names	Chemical name
110C	25B-NBOMe	2C-B-NBOMe	2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-methoxybenzyl)ethanamine
110D	25C-NBOMe	2C-C-NBOMe	2-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-methoxybenzyl)ethanamine
110E	25I-NBOMe	2C-I-NBOMe	2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-methoxybenzyl)ethanamine

110F	N-BENZYLPIPERAZINE	Benzylpiperazine, BZP	1-benzylpiperazine
110G	JWH-018	AM-678	Naphthalene-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone
110H	AM-2201	JWH-2201	[1-(5-Fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](naphthalen-1-yl)methanone
110I	MDPV	3,4-Methylenedioxypropylvalerone	(R/S)-1-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one
110J	METHYLONE	Beta-keto-MDMA	(RS)- 2-methylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)propan-1-one".

[F. No. N-12011/1/2015-NC-II (2)]
SATYA NARAYANA DASH, Under Secy.

Note: The Schedule to the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985) was amended *vide* S.O. 785(E) dated 26th October, 1992 and subsequently amended by S.O. 49(E) dated 8th January, 1993, S.O. 39(E) dated 12th January, 1996, S.O. 475(E) dated 11th June, 2003, G.S.R. 621(E) dated 1st August, 2003, G.S.R. 1(E) dated 2nd January, 2004, S. O. 311 (E) dated 10th February, 2011 and S. O. 376 (E) dated 5th February, 2015.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2016

का. आ. 2375 (अ).— स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 2 के उपवाक्य (vii) और (xxiii) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना जिसे का.आ. 1055 (अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2001 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग, II खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :-

उक्त अधिसूचना में सारणी में, क्रम सं. 228 च और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और उनसे संबंधित प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

क्र.सं.	स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ का नाम (अंतर्राष्ट्रीय गैर-प्रोपराइटरी नाम)	अन्य प्रोपराइटरी नाम	गैर-का	रासायनिक नाम	अल्प मात्रा वाणिज्यिक मात्रा (ग्राम में)	वाणिज्यिक मात्रा (ग्राम/प्रति किलो में)
1	2	3	4	5	6	
"238G.	AH-7921			3,4-डाईक्लोरो-N- [(1- डाईमेथाइलएमीनो) साइक्लोहेक्साइलमे थाइल] बेन्जामाइड	4 ग्राम	200 ग्राम

238H.	25B-NBOMe	2C-B-NBOMe	2-(4-ब्रोमो-2,5-डाईमेथाक्सीफेनाइल)-N-(2-मेथाक्सीबेन्जाइल) एथनामाइन	0.8 ग्राम	40 ग्राम
238I.	25C-NBOMe	2C-C-NBOMe	2-(4-क्लोरो-2,5-डाईमेथाक्सीफेनाइल)-N-(2-मेथाक्सीबेन्जाइल) एथनामाइन	0.005 ग्राम	0.25 ग्राम
238J.	25I-NBOMe	2C-I-NBOMe	2-(4-आयोडो-2,5-डाईमेथाक्सीफेनाइल)-N-(2-मेथाक्सीबेन्जाइल) एथनामाइन	0.05 ग्राम	2.5 ग्राम
238K.	N-BENZYLPIPERAZINE	बेन्जाइलपिपेराजाइन, BZP	1-बेन्जाइलपिपेराजाइन	5 ग्राम	250 ग्राम
238L.	JWH-018	AM-678	नेफथलीन-1-yl(1-पेन्टाइल-1H-इन्डोल-3-yl) मेथानॉन	0.25 ग्राम	12.5 ग्राम
238M.	AM-2201	JWH-2201	[1-(5-फ्लोरोपेन्टाइल)-1H-इन्डोल-3-yl](नेफथलीन-1-yl) मेथानॉन	0.25 ग्राम	12.5 ग्राम
238N.	MDPV	3,4-Methylenedioxy pyrovalerone	(R/S)-1-(बेन्जो[d][1,3]डायोक्सोल-5-yl)-2-(पाइरोलिडिन-1-yl)पेन्टन-1-one	0.5 ग्राम	25 ग्राम

238-O.	METHYLONE	<i>Beta</i> -keto-MDMA	(RS)- 2- मेथाइलअमीनो-1- (3,4- मेथिलीनडिआक्सीफे नाइल)प्रोपेन-1-one	7.5 ग्राम	375 ग्राम".
--------	-----------	------------------------	---	-----------	-------------

[फा.सं. एन-12011/1/2015-एनसी-II (4)]

सत्य नारायण दास, अवर सचिव

नोट – प्रधान अधिसूचना को का.आ. 1055 (अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 2001 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग, II खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था और बाद में इसमें अधिसूचना सं. का.आ. 2941 (अ), दिनांक 18 नवम्बर, 2009, का.आ. 1430 (अ), दिनांक 21 जून, 2011 और का.आ. 375 (अ), दिनांक 5 फरवरी, 2015 के तहत संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2016

S. O. 2375 (E).- In exercise of the powers conferred by clauses (viia) and (xxiii) of section 2 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes following amendment in the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1055 (E), dated the 19th October, 2001, namely:—

In the said notification, in the Table, after serial number 238F and the entries relating thereto, the following serial numbers and the entries shall be inserted, namely:—

Sl No.	Name of Narcotic Drug and Psychotropic Substance (International non-proprietary name)	Other non-proprietary name	Chemical Name	Small Quantity (in gm.)	Commercial Quantity (in gm./kg.)
1	2	3	4	5	6
"238G.	AH-7921		3,4-dichloro-N-[(1-dimethylamino) cyclohexylmethyl] benzamide	4 gm	200 gm
238H.	25B-NBOMe	2C-B-NBOMe	2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-methoxybenzyl)ethanamine	0.8 gm	40 gm
238I.	25C-NBOMe	2C-C-NBOMe	2-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-methoxybenzyl)ethanamine	0.005 gm	0.25 gm
238J.	25I-NBOMe	2C-I-NBOMe	2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-methoxybenzyl)ethanamine	0.05 gm	2.5 gm

238K.	<i>N</i> - BENZYLPIPERAZINE	Benzylpiperazine, BZP	1-benzylpiperazine	5 gm	250 gm
238L.	JWH-018	AM-678	Naphthalene-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone	0.25 gm	12.5 gm
238M.	AM-2201	JWH-2201	[1-(5-Fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](naphthalen-1-yl)methanone	0.25 gm	12.5 gm
238N.	MDPV	3,4-Methylenedioxypropylvalerone	(R/S)-1-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one	0.5 gm	25 gm
238-O.	METHYLONE	<i>Beta</i> -keto-MDMA	(RS)- 2-methylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)propan-1-one	7.5 gm	375 gm".

[F. No. N-12011/1/2015-NC-II (4)]
SATYA NARAYANA DASH, Under Secy.

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1055 (E) dated the 19th October, 2001 and subsequently amended *vide* notification number S.O. 2941 (E) dated the 18th November, 2009, S.O. 1430 (E) dated 21st June, 2011 and S.O. 375 (E) dated 5th February, 2015.